

प्रेस को जानकारी टिप्पण (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 73/ 2020)

तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को अपने हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति द्वारा उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण देश के विभिन्न भागों में उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रमों का आयोजन करता है। कोरोना वायरस महामारी की वर्तमान स्थिति में, ऑनलाइन मंच के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रमों का संचालन करने का निर्णय लिया गया था, जहां उपभोक्ता अपने घर, दुकान अथवा कार्यालय में बैठे कर शामिल हो सकते हैं।

3. इस पहुंच कार्यक्रम में तेलंगाना राज्य के दूरसंचार उपभोक्ताओं के अलावा उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी) के प्रतिनिधियों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों, सरकार के अधिकारियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

4. कार्यक्रम के दौरान, उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अर्थात् प्रशुल्क, मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस), अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण (यूसीसी), मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी, आदि के संबंध में उन्हें प्रदत्त अधिकारों के बारे में शिक्षित किया गया था। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण माई-स्पीड ऐप, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण माई-कॉल ऐप, डीएनडी 2.0 ऐप आदि जैसे विभिन्न मोबाइल एप्स के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई और उपभोक्ताओं को यह भी जानकारी प्रदान की कि उपभोक्ता इन एप्स और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विश्लेषणात्मक पोर्टल का लाभ कैसे उठा सकते हैं। उपभोक्ताओं को टावर लगाने से जुड़ी धोखाधड़ी और इससे किस प्रकार सावधान रहना चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया। इसके अलावा, प्रसारण और केबल टेलीविजन के बारे में नए नियमों से जुड़ी जानकारी के बारे में भी चर्चा की गई। हाल में ही आरंभ किए गए चैनल चयन एप सहित विभिन्न विषयों पर जानकारीप्रद वीडियो भी भागीदारों को दिखाए गए।

5. 'इंटरैक्टिव' सत्र के दौरान, प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर श्री ए0 मुनीशेखर, सलाहकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा दिए गए।

8. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, श्री संजीव बैजल, सलाहकार (सीए एंड आईटी), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, से दूरभाष नम्बर 011-23210990 अथवा ई-मेल आईडी : [advisorit@tra.gov.in](mailto:advisorit@tra.gov.in) पर भी संपर्क किया जा सकता है।

ह0/-

(एस0 के0 गुप्ता)

सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।